डॉ. अनिल बजाज बनाम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन

एंड रिसर्च एवं एक अन्य

21 जनवरी, 2002

[बी. एन. क्रिपाल, के. जी. बालाकृष्णन और अरिजीत पसायत, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून:

ग्रहणाधिकार – पोस्टग्रेजुएट इस्टीटयूट ऑफ मेडीकल एजुकेशन एंड रिसर्च कर्मचारी को विदेश मे रोजगार के लिय आगे बढने की अनुममित दी गई - कर्मचारी को एक वचन-पत्र देना होगा कि वह दो साल की अवधि मे फिर से डयूटी पर आयेगा - मंजूरी के अनुसार कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि यदि अपीलार्थी ड्यूटी फिर से शुरू करने में विफल रहता है तो उसका ग्रहणाधिकार स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा और वह स्थायी रूप से संस्थान छोड़ चुका होगा - कर्मचारी ने अपनी सेवा को जैसा कि वचन दिया था फिर से शुरू नहीं किया - विस्तार के लिए उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था - उच्च न्यायालय द्वारा उसकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली कर्मचारी की रिट

याचिका खारिज की गई थी, अभिनिर्धारित किया, इस मामले में विबंधन का सिद्धांत लागू होगा - एक व्यक्ति जिसे एक शर्त के तहत लाभ मिलता है वह वापस नहीं आ सकता है और उक्त शर्त को चुनौती दे सकता है - उच्च न्यायालय रिट याचिका को खारिज करने में सही था – विबंधन

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील सं. 608/2001

सिविल रिट याचिका संख्या 13570/1999 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 23/9/1999 से!

आर. एल. बट्टा, एस. के. पुरी, उज्जवल बनर्जी, सुश्री अनिंदिता गुप्ता और एच. के. पुरी, अपीलार्थी के लिए।

डी. एस. नेहरा, सुश्री शोभा, ध्रुव मेहता, सुश्री अनु मेहता और एस. के. मेहता, मेसर्स के. एल. मेहता एंड कंपनी के लिए, प्रत्यर्थीगण के लिये।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था-

विशेष अनुमति दी गई।

पक्षकारान के वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि

दिशानिर्देशों के अनुसार याची को विदेश में रोजगार के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रभाव के लिए एक वचन-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी कि वह दो साल की अवधि के भीतर सेवा फिर से शुरू करेगा। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई वचन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। चाहे जो भी हो, दिनांक 13 जनवरी, 1995 का अभिलेख पर एक आदेश है, जो अपीलार्थी को ओमान में कार्य करने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। यह एक कार्योत्तर मंजूरी प्रतीत होती है क्योंकि अपीलार्थी 27 सितंबर, 1994 से दो साल की अवधि के लिए आगे बढ़ा था। मंजूरी के अनुसार इस कार्यालय के आदेश के पैरा 2 में कहा गया है कि यदि अपीलार्थी चंडीगढ़ में सेवा फिर से शुरू करने में विफल रहता है तो उसका ग्रहणाधिकार स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा और उसे मूल तिथि से स्थायी रूप से संस्थान छोड़ने वाला माना जाएगा।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी 1998 के बाद तक वापस नहीं आया था। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि विस्तार के लिए उसके अनुरोध को विशेष रूप से 1997 में अस्वीकार कर दिया गया था। इस स्थिति में किसी भी अन्य चीज के अलावा विबंधन का सिद्वांत इस तरह के मामलो में स्पष्ट रूप से लागू होगा। एक व्यक्ति जिसे सेवा पर विदेश जाने की मंजूरी का लाभ मिलता है इस शर्त पर कि वह दो

साल के भीतर वापस आ जायेगा और यदि वह वापस नहीं आता है तो उसका ग्रहणाधिकार स्वचालित रूप से समाप्त माना जायेगा, फिर वह वापिस नहीं आ सकता है और उक्त शर्त को चुनौती नहीं दे सकता है जिसके आधार पर विदेश जाने की मंजूरी दी गई थी। नि:संदेह, यदि इस पश्न पर कोई विवादहै िक क्या वह वास्तव मे निर्धारित अवधि के भीतर वापस आया था या विशेष रूप से विस्तार दिया गया था, तो जांच आवश्यक हो सकती है, लेकिन जहां तथ्य विवाद में नहीं है, तो जांच खाली औपचारिकता खाली होगी। किसी भी मामले मे विबंधन का सिद्वांत स्पष्ट रूप से लागू होगा और अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने मे उच्च न्यायालय सही था जिसमे उसने अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी थी।

तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

□□□□□□□□□- □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □ □□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □□□□□ □ □ □□□□ □□□□□□□□